रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च, 4 2008/फाल्गुन 14, 1929
No. 79] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2008/PHALGUNA 14, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2008

सं. 122 (आर ई-2007)/2004—2009

फा. सं. 01/94/162/312/ए एम-07/पी सी-I.—निर्यात और आयात नीति, 2002-07 (आर ई-2003) के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1), आर ई 2003 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

पैरा 3.2.5 III, में निम्नलिखित उप-पैराग्राफ अन्त में जोड़ा गया है ।

"इसके अलावा, सहविनिर्माता, जिनके नाम पोत लदान बिलों में दिये गये हैं, सीधे आयात कर सकें, इसके लिए संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी प्रमाण-पत्र पर ऐसे सहविनिर्माताओं के नाम को सह-लाइसेंसधारक के रूप में पृष्ठांकित करेगा ।"

परिणामस्वरूप सूचिबद्ध सहविनिर्माता निर्यात और आयात नीति,(आर ई-2003) के पैरा 3.7.2.1(vi) के तहत जारी स्तरधारक स्कीम 2003-04 हेतु डीएफसीई के लिए 'सह लाइसेंस धारक' होगा और ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स जिन्हें पहले ही स्कीम के अधीन जारी कर दिया गया है, उन्हें इस सीमा तक संशोधित माना जाएगा ।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 4th March, 2008

No. 122 (RE-2007)/2004—2009

F. No. 01/94/162/312/AM-07/PC-I.—In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Export and Import Policy, 2002-2007 (RE 2003), the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Handbook of Procedures, (Vol. I) RE-2003 :—

In Para 3.2.5 III, the following sub-paragraph is added at the end.

"Further in order to enable supporting manufacturers, whose names appear in the shipping bills, to import directly, Licensing Authority concerned shall endorse the names of such supporting manufacturers on the certificate as co-licensees".

Consequently listed supporting manufacturers shall be 'co-licensees' for DFCE for Status Holders Scheme 2003-04 issued under Para 3.7.2.1 (vi) of the Export and Import Policy (RE-2003) and duty credit scrips which have been already issued under the scheme shall be deemed to be amended to this extent.

This issues in Public interest.

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade & ex-officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.